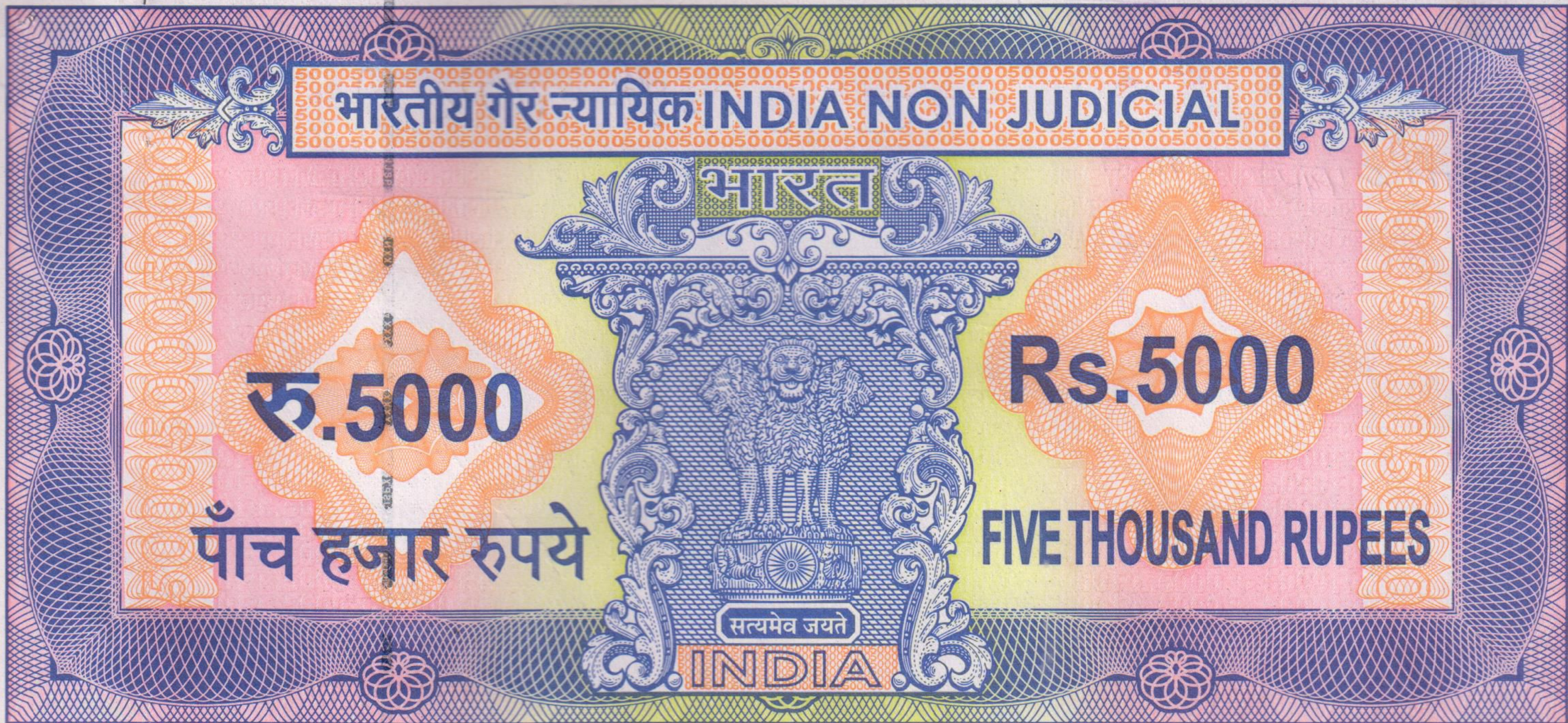




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

AS 798403

सत्येंद्र पाल

14 JUN 2014

कोषाधिकारी
आगरा

स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1)का उल्लंघन नहीं हो रहा है तथा जो सड़क पर व चक रोड पर स्थित नहीं है जो कि सामान्य भूमि की परिभाषा में आती है। और विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

सत्येंद्र पाल

कामी चर्क